रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092021-229832
CG-DL-E-21092021-229832

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3559]	**नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2021/भाद्र 30, 1943**
No. 3559]	**NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021/BHADRA 30, 1943**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का.आ.3883(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में कुछ संशोधन करना चाहती है, जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के परंतुकों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09.04.2021 के सार्वजनिक नोटिस एस.ओ. 1516 (ई) के रूप में भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस (45) दिनों के अंदर, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) के तहत यथाअपेक्षित, आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित किए गए जांच और सुनवाई मंडल द्वारा विचार किया गया है तथा इन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदित भी कर दिया गया है।

3. जबकि, केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय किया है।

4. इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

दिल्ली डायनेमिक पार्किंग मानदंड नीति

अ. परिभाषाएं:

क. मेट्रो कटौती (डिडक्शन): यदि कोई संपत्ति मेट्रो स्टेशन से पैदल दूरी पर स्थित है, उस संपत्ति में पार्किंग मांग में एक निर्धारित प्रतिशत तक कटौती होगी अर्थात मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर तक की दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए प्लॉट के अंदर पार्किंग की कटौती पार्किंग मानदंडों के 30 प्रतिशत की होगी तथा मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर से अधिक और 800 मीटर से कम की दूरी पर स्थित संपत्तियों हेतु प्लॉट के अंदर पार्किंग की कटौती पार्किंग मानदंडों के 15 प्रतिशत की होगी।

ख. एम.एल.सी.पी. कटौती: यदि कोई एम.एल.सी.पी. किसी संपत्ति की 1.0 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित है, उस संपत्ति के अंदर पार्किंग मांग में 10 प्रतिशत तक की कमी होगी।

ग. पार्किंग मानदंड: यह नीचे दिए गए सेक्शन स के अनुसार विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु प्रदान किए जाने वाले पार्किंग स्थलों (ई.सी.एस.) की संख्या है।

घ. ई.सी.एस.: यह उपलब्ध कराया जाने वाला समतुल्य कार स्पेस है।

ब. अनुप्रयोज्यता

क. ये संशोधित पार्किंग मानदंड उन सभी स्थलों/संपत्तियों पर लागू होंगे जहां संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा नक्शें अनुमोदित किए जाने के बाद भी निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे सभी मामलों में जहां नक्शे पहले ही अनुमोदित हो चुके हैं, संपत्तियों को इन संशोधित मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाए और संबंधित स्थानीय निकाय को लिखित रूप में इसकी सूचना दी जाए तथा इसके लिए कोई अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

स. पार्किंग मानदंड:

क्र.सं.	दि.मु.यो. -2021 के अनुसार खंड	उपयोग जोन	पार्किंग जोन	
			मौजूदा प्रावधान (दि.मु.यो. 2021)	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन
1.	4.4.3 (ख)	**आवासीय प्लॉट-समूह आवास**	• निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग • ईडब्ल्यूएस/सेवा कार्मिक आवास के लिए निर्मित क्षेत्र के 0.5 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	• ईडब्ल्यूएस/सेवा कार्मिक आवास संबंधी आवासीय इकाई का आकार: 40 वर्ग मीटर से कम-0.5 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* के हिसाब से पार्किंग • आवासीय इकाई का आकार* 40 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक: 1.0 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* के हिसाब से पार्किंग • आवासीय इकाई का आकार: 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक: 2.0 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* के हिसाब से पार्किंग • आवासीय इकाई का आकार: 200 वर्ग मीटर से

				ऊपर: 2.0 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* और अतिरिक्त 1.0 ईसीएस प्रति 100 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के हिसाब से पार्किंग ** आवासीय इकाई आकार: एफएआर क्षेत्र के अनुसार गणना की जानी है* **सरकारी आवास परियोजनाओं के मामले में, पार्किंग मानदंड जीपीआरए कालोनियों के मामले में अपनाए गए लागू मानदंडों के अनुसार होंगे।**
2.	4.4.3 (ड.)	**हॉस्टल/गेस्ट हाउस/लॉजिंग एवं बोर्डिंग हाउस/धर्मशाला**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 0.5 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
3.	4.4.3 (च)	**रैन बसेरा**	निर्मित क्षेत्र के 500 वर्ग मीटर से कम आकार के प्लॉटों के लिए पार्किंग शून्य, निर्मित क्षेत्र के 500 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लॉटों के लिए 2.0 ईसीएस के हिसाब से पार्किंग	कोई अनिवार्य पार्किंग प्रदान नहीं की जाती।
4.	4.4.3 (छ)	**स्टूडियो अपार्टमेंट**	निर्मित क्षेत्र, के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग बेसमेंट, यदि निर्मित है और केवल पार्किंग के लिए उपयोग की जाती है तो उपयोगिताओं और सेवाओं की गणना एफएआर के लिए नहीं की जाएगी।	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
5.	4.4.3 (ज)	**राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह**	निर्मित क्षेत्र के1 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
6.	तालिका 5.4	**सामुदायिक केंद्र/गैर श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
7.	तालिका 5.4	**जिला केंद्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट/उप नगर स्तरीय व्यावसायिक क्षेत्र**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती

				+ एमएलसीपी कटौती
8.	तालिका 5.4	**व्यावसायिक प्लॉट: रिटेल एवं कॉमर्स मेट्रोपोलिटन सिटी सेंटर अर्थात् कनॉट प्लेस और उसका एक्सटेंशन**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
9.	तालिका 5.4	**फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन में व्यावसायिक परिसर**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
10.	तालिका 5.4	**होटल**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
11.	तालिका 5.4	**सर्विस अपार्टमेंट**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
12.	तालिका 5.4	**आसफ अली रोड (दिल्ली गेट-अजमेरी गेट स्कीम में कमर्शियल स्ट्रिप के रूप में दर्शाया गया क्षेत्र)**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
13.	तालिका 13.2	**अस्पताल/टरशियरि हेल्थ केयर सेंटर**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती **सरकारी अस्पतालों हेतु** निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग

				+ मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
14.	तालिका 13.2	**अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं** **क. प्रसूति गृह नर्सिंग होम/पॉलीक्लिनिक डिस्पेंसरी**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
15.	तालिका 13.2	**अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं** **ख. परिवार कल्याण केंद्र** **बाल चिकित्सा केंद्र** **जरा चिकित्सा केंद्र** **डाईग्नोस्टिक सेंटर**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
16.	तालिका 13.2	**क. पालतू पशु एवं पक्षियों हेतु पशु चिकित्सा अस्पताल** **ख. पालतू पशुओं एवं पक्षियों हेतु डिस्पेंसरी**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
17.	तालिका 13.2	**मेडिकल कॉलेज**	भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई)/विनियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
18.	तालिका 13.2	**नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान**	निर्मित क्षेत्र के 2 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	प्रशासन निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस 100/वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
19.	तालिका 13.2	**पशुचिकित्सा संस्थान**	भारतीय चिकित्सा परिषद(एमसीआई)/विनियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार	प्रशासन निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएम/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
20.	तालिका 13.2	**कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, शारीरिक शिक्षा केंद्र आदि**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएम/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्गमीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती

				+ एमएलसीपी कटौती
21.	तालिका 13.4	**दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विद्यालय**	नियमित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए यथा लागू के समान	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 मीटर के हिसाब से पार्किंग
22.	तालिका 13.6	**व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (आई.टी.आई./ पॉलिटेक्निक/ व्यावसायिक/ प्रशिक्षण संस्थान/ प्रबंधन संस्थान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आदि)/अनुसंधान एंव विकास केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
23.	तालिका 13.6	**जनरल कॉलेज**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
24.	तालिका 13.6	**व्यावसायिक महाविद्यालय (प्रोफेशनल कॉलेज) (तकनीकी)**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
25.	तालिका 13.6	**अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित विश्वविद्यालय परिसर**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
26.	तालिका 13.6	**कॉलेज**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती

27.	तालिका 13.17	**बहुउद्देशीय समाज सदन**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
28.	तालिका 13.17	**बैंक्वेट हॉल**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 6.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
29.	तालिका 13.17	**सामुदायिक मनोरंजनात्मक क्लब (ऑडिटोरियम)**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
30.	तालिका 13.17	**मनोरंजनात्मक क्लब**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
31.	तालिका 13.17	**प्रदर्शनी एवं मेला ग्राउण्ड**	वैधानिक अनापत्ति के अधीन	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
32.	तालिका 13.17	**विज्ञान केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
33.	तालिका 13.17	**अंतराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग +

				मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
34.	तालिका 13.17	**सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
35.	तालिका 8.2	**जिला न्यायालय, एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार स्थानीय निकाय)**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	**क) जिला न्यायालय** 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती **ख) एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार स्थानीय निकाय) के लिए -** निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती

नोट:

दिल्ली की मुख्य योजना – 2021 में उल्लिखित पार्किंग मानदंडों की, निर्मित क्षेत्र के अनुसार, फ्लोर एरिया/ बिल्ड-अप एरिया के अनुसार गणना की जाएगी

[फा. सं. के-12011/2/2021-डीडी-I]

उपेन्द्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2021

S.O. 3883(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 1516 (E) dated 09.04.2021 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections / suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five (45) days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections / suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

POLICY FOR DYNAMIC PARKING NORMS FOR DELHI

A. **DEFINITIONS:**

a. **Metro deduction**: If a property is located within a walkable distance from a Metro Station, the parking requirement within that property shall be reduced by a prescribed percentage viz. for properties located upto 500 m from a metro station, the deduction in parking within the plot shall be 30 percent of the parking norm and for properties located more than 500 m and less than 800 m from a metro station, the deduction in parking within the plot shall be 15 percent of the parking norm.

b. **MLCP deduction**: If an MLCP is located within 1.0 km radius of any property, the parking requirement within that property shall be reduced by 10 percent.

c. **Parking Norms**: These are the number of parking spaces (ECS) that are to be provided for various landuses, as given in section C below.

d. **ECS**: This is the Equivalent Car Space that is to be provided.

B. **APPLICABILITY**

a. These revised parking norms shall become applicable on all sites/properties where construction has not yet begun, even if the plans have been approved by the concerned local body. In all such cases where the plans have already been approved, the properties may be developed with these revised norms and the concerned local body may be informed of the same in writing and no separate permission for the same is needed to be taken.

C. **PARKING NORMS :**

S. No.	**Clause as per MPD -2021**	**Use Zones**	**PARKING NORMS**	
			Existing Provisions (MPD 2021)	**Proposed Amendments/Modifications**
1.	**4.4.3 (B)**	**Residential Plot – Group Housing**	• Parking @ 2.0 ECS / 100 m2 of Built-up area • Parking @ 0.5 ECS / 100 m2 Built-up area for EWS/ Service Personnel housing	• EWS / Service Personnel Housing DU size: less than 40 sqm- Parking @ 0.5 ECS per DU* • DU size: 40sqm to 100 sqm : Parking @1.0 ECS per DU* • DU Size : 100 sqm to 200 sqm: Parking @2.0 ECS per DU*

				• DU Size : above 200 sqm: Parking @ 2.0 ECS per DU* and additional 1.0 ECS per 100 sqm or part thereof. ** DU size : To be calculated as per FAR Area* **In case of Government Housing Projects, the parking norms shall be as per the applicable norms adopted in case of GPRA Colonies.**
2.	**4.4.3 (E)**	**Hostel / Guest House / Lodging & Boarding House / Dharamshala**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of Built-up area	Parking @ 0.5 ECS/100m^2 of FAR area + Metro Deduction
3.	**4.4.3 (F)**	**Night Shelter**	Parking NIL, for plots measuring less than 500m2 of built-up area Parking @ 2.0 ECS for plots measuring more than 500m2 of built-up area	No mandatory parking is to be provided
4.	**4.4.3 (H)**	**Studio Apartments**	Parking @ 2.0 ECS / 100m2 of Built-up area Basement, if constructed, and used only for parking, utili- ties and services shall not be counted towards FAR.	Parking @ 1.0 ECS/100m^2 of FAR area + Metro Deduction
5.	**4.4.3 (I)**	**State Bhawans/ State Guest houses**	Parking @ 1.0 ECS / 100m^2 of Built-up area	Parking @ 1.0 ECS/100m2 of FAR area
6.	**Table 5.4**	**Community Centre / Non- hierarchical Commercial Centre**	Parking @ 3.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 3.0 ECS / 100m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
7.	**Table 5.4**	**District Centre/ Sub- Central Business District / Sub- City Level Commercial areas**	Parking @ 3.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 3.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
8.	**Table 5.4**	**Commercial Plot: Retail & Commerce Metropolitan City Centre i.e. Connaught Place & its Extension**	Parking @ 3.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 3.0 ECS / 100m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
9.	**Table 5.4**	**Commercial Complex at Fire Brigade Lane and Janpath Lane**	Parking @ 3.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 3.0 ECS / 100m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction

10.	**Table 5.4**	**Hotels**	Parking @ 3.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100m^2 of FAR area + Metro Deduction
11.	**Table 5.4**	**Service Apartments**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100m^2 of FAR area + Metro Deduction
12.	**Table 5.4**	**Asaf Ali Road (the area shown as commercial strip in Delhi Gate – Ajmeri Gate scheme)**	Parking @ 3.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 3.0 ECS / 100m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
13.	**Table 13.2**	**Hospital / Tertiary Health Care Centre**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100m^2 of FAR area + Metro Deduction **For Government Hospitals** Parking @1.0 ECS /100sqm of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
14.	**Table 13.2**	**Other Health Facilities** **a. Maternity Home** **Nursing Home / Polyclinic / Dispensary**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100m^2 of FAR area + Metro Deduction
15.	**Table 13.2**	**Other Health Facilities'** **b. Family Welfare Centre** **Paediatric Centre** **Geriatric Centre** **Diagnostic Centre**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100m^2 of FAR area + Metro Deduction
16.	**Table 13.2**	a. **Veterinary Hospital for pet animals and birds** b. **Dispensary for pet animals and birds**	Parking @ 1.33 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 1.0 ECS / 100m^2 of FAR area
17.	**Table 13.2**	**Medical College**	As per norms of Medical Council of India (MCI) / Regulatory Body	Parking @ 1.0 ECS / 100 m^2 of Admin. FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
18.	**Table 13.2**	**Nursing and Paramedic Institute**	Parking @ 2 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m^2 of Admin. FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
19.	**Table 13.2**	**Veterinary Institute**	As per norms of Medical Council of India / Regulatory Body	Parking @ 1.0 ECS / 100 m2 of Admin. FAR area
20.	**Table**	**Coaching Centre, Computer- Training**	Parking @ 1.33 ECS / 100	Parking @ 1.0 ECS / 100 m2 of

	13.2	**Institute, physical Education Centre etc.**	m^2 of floor area	FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
21.	**Table 13.4**	**School for differently abled persons**	Same as applicable for regular Primary & Secondary schools	Parking @ 1.0 ECS / 100 m2 of FAR area
22.	**Table 13.6**	**Vocational Training Centre (ITI/Polytechnic / Vocational/ Training Institute/ Management Institute/ Teacher Training Institutes etc.) / Research and Development centre.**	Parking @ 1.33 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
23.	**Table 13.6**	**General College**	Parking @ 1.33 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
24.	**Table 13.6**	**Professional College (Technical)**	Parking @ 1.33 ECS / 100 m2 of floor area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
25.	**Table 13.6**	**University Campus including International Education Centre (IEC)**	Parking @ 1.33 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
26.	**Table 13.6**	**College**	Parking @ 1.33 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 1.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
27.	**Table 13.17**	**Multipurpose Community Hall**	Parking @ 3.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
28.	**Table 13.17**	**Banquet Hall**	Parking @ 3.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 6.0 ECS / 100 m^2 of FAR area
29.	**Table 13.17**	**Community Recreational Club (Auditorium)**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction

30.	**Table 13.17**	**Recreational Club**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
31.	**Table 13.17**	**Exhibition –cum - Fair Ground**	Subject to statutory clearances	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
32.	**Table 13.17**	**Science Centre**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
33.	**Table 13.17**	**International Convention Centre**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
34.	**Table 13.17**	**Socio-Cultural Centre**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction
35.	**Table 8.2**	**District Court, Integrated Office Complex, Government Offices (Central / State Government / Local Bodies)**	Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of floor area	**a)District Court** - Parking @ 2.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction **b)For Integrated Office Complex, Government offices (Central / State Government / Local Bodies)** - Parking @ 1.0 ECS / 100 m^2 of FAR area + Metro Deduction + MLCP Deduction

Note:

Parking norms mentioned in Master Plan for Delhi - 2021 are calculated as per floor area / built – up area, the same to be calculated as per FAR area.

[F.No. K-12011/2/2021-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI,Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.09.21 16:33:08 +05'30'